न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 2022 / 171 निर्णय दिनांक :– 16.07.2024

1. उगमानाराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
2. औमप्रकाश पुत्र जयराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
3. गणेश पुत्र आसू जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
4. प्रकाश पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
5. भंवरलाल पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
6. भींवाराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
7. मोहनराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
8. राजूराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
9. सुखाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
10. सतुराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
11. संतोष पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी
12. सरजू पत्नी जयराम जाति जाट निवासी कलकलां की ढाणी

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. आसुराम पुत्र मंशाराम जाति मेघवाल निवासी कलकला ढाणी
2. बाबूलाल पुत्र धूलाराम जाति रेगर निवासी मंगेर आसपुर, डंगरपुर
3. बालूराम पुत्र केसाराम जाति रेगर निवासी मंगलाना
4. मुकेश पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी कलकलां की ढाणी
5. मदनलाल पुत्र चन्द्राराम जाति खटीक निवासी कालानाड़ा मकराना
6. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी कलकला की ढाणी
7. सुरेशकुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी कालनाड़ा
8. हीराराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल निवासी सिणगारा तह. रूपनगढ़

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा , अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री रमेशचन्द बोहरा अधिवक्ता, अप्रार्थी 3,5,7

कार्यालय उपखण्ड ... परबतसर (डीडवाना ...)

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत पेश कर ग्राम कलकलां की ढाणी के खसरा नम्बर 206 व 207 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण स्वंय की खातेदारी की भूमि के लिये 20 फुट चौड़ा रास्ता अपनी कृषि भूमि के पश्चिमी दक्षिणी कोने की तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन

खसरा नम्बर 305/203 के दक्षिणी हिस्से से होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जाने के लिये गाडी छकड़ा ट्रेक्टर लाने ले जाने लिये 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण 3, 5, 7 की ओर से अधिवक्ता रमेशचन्द बोहरा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी 1, 4, 6 के नोटिस विधिवत तामील सुदा प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय काय वाही की गई दिनांक 28.09.22 को अप्रार्थी 2, 8 के नोटिस रजिस्ट्रर्ड डाक से प्राप्त होने के बाजवजू अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण की दर० स्वीकार की जाकर पुन मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी।

3. अप्रार्थी संख्या 3, 5, 7 ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 208 की तरफ से रास्ते की मांग करनी चाहिये थी लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि में से रास्ते की मांग की है जो अनुचित है। खसरा नम्बर 302/198,197,196 से होते हुये मौके पर रास्ता चालू है तथा इस लिये खसरा नम्बर 208,207 में आने जाने हेतु कुछ ही दूरी पर रास्ताउपलब्ध हो जाता है लेकिन प्रार्थीगण ने झूठा मनगढन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो नाकाबिल चलने के है, प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 302/198 की उत्तरी सीव सीव होते हुए खसरा नम्बर 197,196 मौके पर चालू है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी 208 उससे कुछ ही दूरी है जिसका उल्लेख प्रार्थीगण ने नहीं किया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 186 मीटर की दूरी पर है जबकि खसरा नम्बर 208 से रास्ते की मांग करने पर उक्त खसरा मात्र 30 मीटर से अधिक दूर नहीं हो सकता है न्याय के प्रतिपादित नियमों के तहत भी यह देखना आवश्यक है चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं जबकि प्रार्थीगण की सुविधा के लिये सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 208 से होते हुये ही है इसके अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सकता है जबाब के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "ख" है जिससे मौके की स्थिति स्पष्ट किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

5. प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी सुदा भूमि ग्राम कलकला की ढाणी खसरा नम्बर 206 व 207 के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 305/203 के दक्षिणी हिस्से से 20 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 206 व 207 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 305/203 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत नक्शे के अनुसार खसरा नम्ब 305/203 के पश्चिमी तरफ लगता हुआ कटाणी रास्ता मौके पर स्थित है, इस रास्ते से खसरा नम्बर 305/203 की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व खसरा नम्बर 207 तक रास्ते की मांग प्रार्थीगण द्वारा की गई है। प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 को पेश हुई जिसमें रास्ता 186 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई दर्शित किया गया जो प्रार्थीगण की मांग अनुसार है, मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के अन्य कोई स्थाई व वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है। जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐतराज करते हुऐ प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि के अन्य नजदीक वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 302/198 की उत्तरी सीव होते हुये खसरा नम्बर 197,196 मौका पर चालू रास्ता होना बताया है। तत्पश्चात पुनः सभी विकल्पो को मध्य नजर रखते हुऐ मौका रिपोर्ट मंगवायी गई जो दिनांक 09.03.2023 को प्राप्त हुई। स्पष्ट अंकित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता बताया है वह कटाणी रास्ता नहीं होकर खातेदारो की खातेदारी में अपने हक हिस्से में आने जाने व खसरा नम्बर 195 के खातेदारा की ढाणी में जाने हेतु केवल मौके पर रास्ता कायम कर रखा है जो कटाणी रास्ता नहीं है ना नक्शे में रास्ता अंकित है, खसरा नम्बर 197,198 अप्रार्थीगण ने रास्ता होना अपने जबाब में बताया है लेकिन खसरे भी रास्ता नहीं होकर निजी खातेदारी की भूमि है। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 में मौका निरीक्षक ने बताया है अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 305/203 के दक्षिणी पश्चिमी कौने के पास बाडा व एक सीमेन्ट ईटो का कमरे का निर्माण किया है जो मौके पर खाली है उक्त निर्माण पूर्व मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 के बाद निर्माण किया गया है। जो मात्र प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 207 में रास्ते से वंचित करने की नियत से किया गया है, क्योंकि उक्त निर्माण करने के बाद अप्रार्थीगण ने पूर्व मौका रिपोर्ट पर

एतराज किया है। जिससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण की नियत खराब है, जानबुझ कर प्रार्थीगण को रास्ते के विकल्प से वंचित करना चाहा है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है की प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं है न ही अन्य कोई रास्ते का विकल्प है, तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी सुदा भूमि के उपयोग उपभोग हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 305/203 की दक्षिणी सीमा पर मौका रिपोर्ट में वर्णित नाप – चौप की भूमि खातेदारी से कम कर गै.मु. काटणी राजकीय रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार परबतसर को आदेश जारी हो कि रास्ते में जाने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना कर दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से के अनुपात में भुगतान की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16/07/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)